राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील / निगरानी सं. रेफिट. 46/15 जिला जयपुर

मै. G.V.R. इंफ्राप्रोजेक्ट लि. बनाम A.C., W/T जोन III जयपुर

उनवान

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहमकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए
4-8-16	**खण्डपीठ** श्री मनोहरपुरी, सदस्य श्री राजीव चौधरी, सदस्य प्रार्थी अनुपस्थित! विभागिय प्रतिनिधि श्री डी.पी. ओझा उपस्थित। अपील संख्या 1653/2015/जयपुर में अपीलीय अधिकारी प्रथम, जयपुर द्वारा अधिनियम की धारा 38(4) के अन्तर्गत कर निर्धारण अधिकारी द्वारा सृजित मांग राशि में से आंशिक स्थगन प्रदान किया गया था। शेष रही मांग राशि के संबंध में स्टे प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर कर बोर्ड की खण्डपीठ द्वारा दिनांक 20.10.15 के बकाया मांग राशि रूपये 3,20,78,940/- को तीन माह के लिए स्थगित करते हुए प्रकरण का निस्तारण करने के निर्देश दिये गये थे। कर बोर्ड के निर्णय दिनांक 20.10.15 में स्थगित राशि के संबंध में कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष जमानत प्रस्तुत करने का अंकन नहीं किया गया था। जिसको अंकित करवाने हेतु दिनांक 02.11.15 को संशोधन प्रार्थना पत्र विभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। प्रार्थना पत्र की सुनवाई के समय विभागिय प्रतिनिधि श्री डी.पी.ओझा ने बताया कि मूल अपील का निर्णय अपीलीय अधिकारी द्वारा किया जा चुका है। इस बाबत् श्री ओझा द्वारा आदेशिका पर लिखित में अंकित किया गया है और संशोधन प्रार्थना पत्र विदड्रॉ करने का निवेदन किया। विभागिय प्रतिनिधि के निवेदन को स्वीकार करते हुए प्रस्तुत प्रार्थना पत्र सारहीन होने से जरिये विदड्रॉअल खारिज किया जाता है। निर्णय सुनाया गया। (हस्ताक्षर) 04/08/16 सदस्य राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर (हस्ताक्षर) 04.08.2016 सदस्य राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर	The main appeal has been decided and by virtue of it this application has become infructuous so it may kindly be treated withdrawn. (हस्ताक्षर) DP 4/8/16